



# जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा रत्नागिरी

केंद्र शासनाचा माहितीचा अधिकार अधिनियम  
२००५ कलम ४ (१)


अन्वये केलेली अंमलबजावणी  
(स्वयंप्रेरणेने प्रकट करावयाची माहिती)

१ ते १७ मुद्दे


(१ जानेवारी, २०२२ )

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा रत्नागिरी कार्यालयातील कार्ये व कर्तव्ये यांचा तपशिल.

|   |   |  |
|---|---|--|
| कार्यालयाचे नांव  | : | जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा रत्नागिरी   |
| पत्ता   | : | जिल्हा परिषद रत्नागिरी आवारात  |
| कार्यालय प्रमुख   | : | प्रकल्प संचालक   |
| शासकीय विभागाचे नांव  | : | ग्राम विकास विभाग.   |
| कोणत्या मंत्रालयातील खात्याच्या अधिनस्त                                     | : | ग्राम विकास विभाग  |
| कार्यक्षेत्र  | : | रत्नागिरी जिल्हा   |
| भौगोलिक   | : | --   |
| कार्यानुरूप   | : | --   |
| विशिष्ट कार्ये  | : | ग्रामीण भागात घरकुल आवास योजना, ट्रायसेम वगैरे योजना राबविणे व त्यावर नियंत्रण.                        |
| विभागाचे ध्येय /धोरण  | : | ग्रामीण भागात सर्वासाठी घरे  |
| धोरण  | : | -  |
| सर्व संबंधित कर्मचारी   | : | (वर्ग-३ व वर्ग-४) सहाय्यक लेखाधिकारी/कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी /वरिष्ठ सहाय्यक/कनिष्ठ सहाय्यक/चालक/परिचर. |
| कार्य   | : | सेवा विषयक बाबी  |
| कामाचे विस्तृत स्वरूप   | : | ग्रामीण भागात घरकुल आवास योजना, ट्रायसेम वगैरे योजना राबविणे व त्यावर नियंत्रण.                        |
| मालमत्तेचा तपशिल  | : | परिषद भवन आवारात स्वतंत्र इमारत  |
| इमारती व जागेचा तपशील   | : | .....  |
| उपलब्ध सेवा   | : | केंद्र व राज्य पुरस्कृत घरकुल योजना राबविणे  |
| संस्थेच्या संरचनात्मक तक्त्यामध्ये कार्यक्षेत्राचे प्रत्येक स्तरावरचे तपशील | : | सोबत जोडला आहे.  |
| कार्यालयीन दूरध्वनी क्रमांक व वेळा  | : | २२२५३०/२७०८९१ वेळ : ०९.४५ ते १८.१५   |
| साप्ताहिक सुट्टी व विशिष्ट सेवेसाठी ठरविलेल्या वेळा                         | : | आठवड्यातील रविवार व शनिवार.  |

  
प्रकल्प संचालक  
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, रत्नागिरी

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा रत्नागिरी विभाग संरचनात्मक तक्ता




प्रकल्प संचालक  
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा रत्नागिरी

कलम ४(१) (b) (ii) नमुना (अ)

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा रत्नागिरी कार्यालयाकडील अधिकारी व कर्मचारीयांच्या अधिकारांचा तपशील

अ

| अनु.क्र. | पदनाम          | अधिकार-आर्थिक                                  | कोणत्या कायद्या/ नियम/ शासन निर्णय/परिपत्रकानुसार  | अभिप्राय |
|----------|----------------|--|--|----------|
| ३        | प्रकल्प संचालक | आवर्ती - रु.१०,०००/-<br>अनावर्ती - रु.१५,०००/- | १) महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती लेखा संहिता १९६८<br>२) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद पंचायत समिती सादिल खर्च अधिनियम १९६८ |          |


  
प्रकल्प संचालक

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा रत्नागिरी




ब

| अनु. क्र. | पदनाम          | अधिकार - प्रशासकीय   | कोणत्या कायद्या/ नियम/ शासन निर्णय / परिपत्रकानुसार                              | अभिप्राय |
|-----------|----------------|--|--|----------|
| १         | प्रकल्प संचालक | अधिनस्त कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढी, किरकोळ शिक्षा, रजा (असाधारण वगळून १२० ते २४० दिवसांपर्यंत), वर्ग-३ गोपनीय अहवाल प्रतिवेदन व पुनर्विलोकन करणे | शासन ग्राम विकास विभागाकडील परिपत्रक क्र.झेड एल जी १६६९/सी २-२३०८ - ए दि.२६/२/७० |          |

  
 प्रकल्प संचालक  
 जिल्हा ग्रामीण विकास बंत्रणा, रत्नागिरी


**कलम ४ (१) (b) (ii) नमुना (ब)**  
**जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा रत्नागिरी कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी यांच्या कर्तव्यांचा तपशील.**

| अ.क्र. | पदनाम                       | कर्तव्य  | शासन निर्णय / परिपत्रक  | अभि प्राय |
|--------|-----------------------------|--|---|-----------|
| १      | प्रकल्प संचालक              | अधिनस्त कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढी, किरकोळ शिक्षा, रजा (असाधारण वगळून १२० ते २४० दिवसांपर्यंत), वर्ग - ३ गोपनीय अहवाल प्रतिवेदन व पुनर्विलोकन करणे, घरकुल योजनांचे नियंत्रण व पर्यवेक्षण, आहरण व संवितरण अधिकारी   | शासन ग्राम विकास विभागाकडील परिपत्रक क्र.झेड एल जी १६६९ / सी २ - २३०८ - ए दि. २६/२/७० |           |
| २      | सहायक प्रकल्प अधिकारी       | घरकुल योजनावर पर्यवेक्षण व नस्ती मा.प्रकल्प संचालक यांचेकडे सादर करणे, प्रकल्प संचालक यांचे अनुपस्थितीत महत्त्वाचे काम पहाणे, लाभार्थ्यांना योजनेबाबत मार्गदर्शन करणे  |   | पद रिक्त  |
| ३      | शाखा अभियंता                | घरकुलांची प्रत्यक्ष पहाणी करून अहवाल सादर करणे, घरकुलांच्या बांधकाम विषयक कामकाजाबाबत मार्गदर्शन.  |   | पद रिक्त  |
| ४      | विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी) | जिल्हायातील सर्व घरकुल बांधकामाची सांख्यिकीय माहिती ठेवणे, प्रकल्पाकडील सर्व योजनांची सांख्यिकीय माहिती,   |   | पद रिक्त  |
| ५      | सहायक लेखाधिकारी            | अर्थविषयक कामकाजवर पर्यवेक्षण व मार्गदर्शन, वेतन देयके, सादिल देयके यांना मंजूरी देणे, योजनाविषयक देयकांना मंजूरी देणे, लेखापरिक्षण कामकाज   |   |           |
| ६      | कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी      | आस्थापना व सर्व विभागातील कर्मचा-यांचे काम तपासणे व नियंत्रण. आलेल्या नस्तीची छाननी करणे, मा.प्रकल्प संचालक यांचेकडे सादर करणे, विविध सभांचे नियोजन  |   |           |
| ७      | वरिष्ठ सहायक आस्था 1 व २    | १.कार्यालयीन कर्मचा-यांचे आस्थापनाविषयक कामकाज<br>२. प्रकल्प संचालक, यांचे संभाव्य फिरती कार्यक्रम व दैनंदिनी मंजूरीसाठी सादर करणे.<br>३.कार्यालयीन आवक-जावक कामकाज<br>४.विविध सभांचे इतिवृत्त कामकाज<br>५.सादिल देयके, वेतन-फरकाची देयके, वेतननिश्चिती करणे |   |           |
| ८      | वरिष्ठ सहायक(लेखा)          | १.अर्थ व लेखा विषयक कामकाज<br>२.सर्व खर्चाच्या नोंदी ठेवणे<br>३.सादिल देयके, योजना विषयक देयकांना मंजूरी<br>४.वेतन देयके तयार करून त्यास स.ले.अ यांचेमार्फत प्रकल्प संचालक यांची अंतिम मंजूरी घेणे   |   |           |
| ९      | वरिष्ठ सहा. यो-२            | १.प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण चे सर्व कामकाज<br>२.PMAY-G योजनेचे ऑनलाईन कामकाज प्रोग्रॅम व डाटा एन्ट्री ऑपरेटर यांचेकडून करून घेणे, योजनेचा सर्व पत्रव्यवहार व अभिलेखे ठेवणे   |   |           |
| १०     | कनिष्ठ सहायक यो-१           | १. राज्य पुरस्कृत शबरी, रमाई, कै.राजीव गांधी, आदम जमाती योजनांचे सर्व कामकाज पहाणे   |   |           |

  
**प्रकल्प संचालक**  
 जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, रत्नागिरी

कलम ४(१) (b) (ix)  
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा रत्नागिरी येथील अधिकारी व कर्मचारी यांचे मासिक वेतन

| अ. क्र. | पदनाम                     | अधिकारी/कर्मचारी यांचे नाव                | पत्ता                              | वर्ग | रुजू दिनांक | दुरध्वनी क्रमांक/ई मेल/ फॅक्स | एकुण वेतन |
|---------|---------------------------|---|------------------------------------|------|-------------|-------------------------------|-----------|
| १       | प्रकल्प अधिकारी           | श्रीम.नंदिनी भालचंद्र घाणेकर              | आपटे रोड, पुणे                     | १    | -           | ९९६०५४९४९५                    | १२६५४९/-  |
| २       | सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी   | श्री.संतोष भिकाजी गमरे, अतिरिक्त कार्यभार | बोरसुत ता. संगमेश्वर, जि.रत्नागिरी | २    | -           | ९४२११४१४१०                    | पद रिक्त  |
| ३       | शाखा अभियंता              | -   | -                                  | २    | -           | -                             | पद रिक्त  |
| ४       | स्तार अधिकारी (सांख्यिकी) | -   | -                                  | -    | -           | -                             | पद रिक्त  |
| ५       | सहाय्यक लेखाधिकारी        | श्री.नितीन शांताराम तांबे                 | कुवारबांव, रत्नागिरी               | ३    | २८.०९.२०२१  | ८३२९७०७९७०                    | ७६९६६/-   |
| ६       | कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी    | श्री.संतोष भिकाजी गमरे                    | बोरसूत ता. संगमेश्वर, जि.रत्नागिरी | ३    | १७.०७.२०१८  | ९४२११४१४१०                    | ७०२५३/-   |
| ७       | वरिष्ठ सहाय्यक (लेखा)     | श्रीम.सुनयना राजेश सावंत                  | जामसंडे ता.देवगड                   | ३    | १९.०८.२०१७  | ९४६३३१५१०७                    | ५८२१४/-   |
| ८       | वरिष्ठ सहाय्यक            | श्री.गंगाराम राजाराम मुदगल                | १२/३५७, शिवाजीनगर, इचलकरंजी        | ३    | १७.०९.२०२१  | ९२७१८४३८१७                    | ५२१६९/-   |
| ९       | कनिष्ठ सहाय्यक            | श्री.उपेंद्र शिशिकांत दळी                 | चांदेराई ता.जि. रत्नागिरी          | ३    | २०.०८.२०१९  | ८२७५४५५६४०                    | ३८३५५/-   |
| १०      | कनिष्ठ सहाय्यक            | श्री.संजय सुर्यकांत वारसे                 | पोर्मेडी बुद्रुक, रत्नागिरी        | ३    | ०९.०७.२०२१  | ९३२२९९५५७५                    | २८४८५/-   |
| ११      | कनिष्ठ सहाय्यक            | -   | --                                 | -    | -           | -                             | पद रिक्त  |
| १२      | वाहन चालक                 | श्री.राकेश रविंद्र शिंदे                  | कळंबटे ता.संगमेश्वर                | ३    | ११.०१.२०२२  | ८०५५२१४५४५                    | १८४६९     |
| १३      | वाहन चालक                 | -   | -                                  | -    | -           | -                             | पद रिक्त  |
| १४      | परिचर                     | -   | -                                  | २    | -           | -                             | -         |
| १५      | परिचर                     | श्री.संभाजी हिराजी देसाई                  | नाचणे ता.रत्नागिरी                 | ३    | ०५.११.२०१४  | ८६०५७१०७९२                    | ४३७७८/-   |


  
प्रकल्प संचालक  
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, रत्नागिरी



## कलम ४ (१) (b) (x)

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा रत्नागिरी येथील अधिकारी व कर्मचारी यांच्या वेतनाची विस्तृत माहिती प्रकाशीत करणे

| अक्र | कर्मचारी अधिकारी यांचे नाव   | पद                      | मुळ वेतन | डी.ए. | एच. आर. ए. | डि.सी. पी.एस/ एन.पी. एस | सी. एल. / W A | एल टी.ए | एकुण     |
|------|------------------------------|-------------------------|----------|-------|------------|-------------------------|---------------|---------|----------|
| १    | श्रीम.नंदिनी भालचंद्र घाणेकर | प्रकल्प संचालक          | ९४१००    | ३२४४९ | ५१५२       | ०                       | ०             | ०       | १२६५४९   |
| २    | श्री.संतोष भिकाजी गमरे       | सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी |          |       |            |                         |               |         | पद रिक्त |
| ३    | -                            | शाखा अभियंता            |          |       |            |                         |               |         | पद रिक्त |
| ४    | -                            | विस्तार अधिकारी (सां)   |          |       |            |                         |               |         | पद रिक्त |
| ५    | श्री.नितीन शांताराम तांबे    | सहाय्यक लेखाधिकारी      | ५६८००    | १५९०४ | ५१५२       | ०                       | ०             | ४००     | ७८२१६    |
| ६    | श्री.संतोष भिकाजी गमरे       | कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी  | ५१९००    | १४५३२ | ४६७१       | ०                       | ०             | ४००     | ७१५०३    |
| ७    | श्रीम.सुनयना राजशे सावंत     | वरिष्ठ सहा.(लेखा)       | ४२२००    | ११८१६ | ३७९८       | ०                       | ०             | ४००     | ५८२१४    |
| ८    | श्री.गंगाराम राजाराम मुदगल   | वरिष्ठ सहाय्यक          | ३८७००    | १०८३६ | ३४८३       | ०                       | ०             | ४००     | ५३४१९    |
| ९    | श्री.संजय सुर्यकांत वारसे    | कनिष्ठ सहाय्यक          | २०५००    | ५७४०  | १८४५       | ०                       | ०             | ४००     | २८४८५    |
| १०   | श्री.उपेंद्र शशिकांत दळी     | कनिष्ठ सहाय्यक          | २४५००    | ६८६०  | २२०५       | ४३९०                    | ०             | ४००     | ३८३५५    |
| ११   | कनिष्ठ सहाय्यक               | -                       | -        | -     | -          | -                       | -             | -       | पद रिक्त |
| १२   | श्री.राकेश रविंद्र शिंदे     | वाहन चालक               | १३४८१    | ३७७५  | १२१३       | ०                       | ०             | ०       | १८४६९    |
| १३   | -                            | वाहन चालक               | -        | -     | -          | -                       | -             | -       | पद रिक्त |
| १४   | श्री.संभाजी हिराजी देसाई     | परिचर                   | २८०००    | ७८४०  | २५२०       | ५०१८                    | ०             | ४००     | ४३७७८    |
| १५   | -                            | परिचर                   | -        | -     | -          | -                       | -             | -       | पद रिक्त |


  
 प्रकल्प संचालक  
 जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, रत्नागिरी

## कलम ४(१) (ब) (iii)

निर्णय प्रक्रियेतील पर्यवेक्षण व जबाबदारीचे उत्तरदायित्व निश्चित करून कार्यपद्धतीचे प्रकाशन  
(कामाचा प्रकार / नाव)

|                 |    |  |
|-----------------|----|--|
| कामाचे स्वरूप   | :- | प्रशासकीय व सेवा विषयक बाबी  |
| संबंधित तरतूद   | :- | -  |
| अधिनियमाचे नाव  | :- | महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम १९६१                       |
| नियम            | :- | महाराष्ट्र जिल्हा सेवा प्रवेश नियम १९६७ व वर्तणूक - १९६७ व शिस्त व अपिल १९६४ |
| शासन निर्णय     | :- | -  |
| परिपत्रके       | :- | -  |
| कार्यालयीन आदेश | :- | -  |

| अनु. क्र. | कामाचे स्वरूप                                | कालावधी दिवस | कामासाठी जबाबदार अधिकारी | अभिप्राय  |
|-----------|--|--------------|--------------------------|---|
| १         | केंद्र व राज्य पुरस्कृत योजनांचे सर्व कामकाज | -            | यो-१ व यो-२,             | सहायक प्रकल्प अधिकारी, कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी हे याबाबत पर्यवेक्षण व मार्गदर्शन करतात. तक्रार प्राप्त झाल्यास चौकशी करण्यात येते. |
| २         | कार्यालयीन आस्थापना                          | --           | आस्था १ व २              | कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी हे याबाबत पर्यवेक्षण व मार्गदर्शन करतात.   |
| ३         | लेखा व अर्थ                                  | -            | वरिष्ठ सहा.(लेखा)        | अर्थ व लेखाविषयक सर्व कामकाज. सहाय्यक लेखाधिकारी हे याबाबत पर्यवेक्षण व मार्गदर्शन करतात.   |


  
 प्रकल्प संचालक  
 जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, रत्नागिरी

कलम ४(१) (ब) (iv) नमुना (अ)

नमुन्यामध्ये कामाचे प्रकटीकरण

संघटनाचे लक्ष (वार्षिक)

| अनु.क्र. | काम / कार्य                                   | कामाचे प्रमाण | आर्थिक लक्ष | अभिप्राय |
|----------|---|---------------|-------------|----------|
| १        | पंचायत समिती<br>कार्यालयाची वार्षिक<br>तपासणी | वर्षातून एकदा | -           | -        |

  
 प्रमुख संघाध्यक्ष  
 जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, रत्नागिरी

## कलम ४(१) (ब) (iv) नमुना (ब)

## कामाची कालमर्यादा एक वर्ष काम पूर्ण होण्यासाठी

प्रत्येक कामाची कालमर्यादा:

| अनु. क्र. | काम / कार्य                     | दिवस / तास पूर्ण करण्यासाठी | जबाबदार अधिकारी | तक्रार निवारण अधिकारी |
|-----------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------|
| १         | पंचायत समिती कार्यालयाची तपासणी | वर्षातून एकदा               | प्रकल्प संचालक  | -                     |

*[Handwritten Signature]*  
 प्रकल्प संचालक  
 जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, स्तनागिरी



## कलम ४(१) (ब) (v) नमुना (ब)


## जिल्हा ग्रामीण विकास विभागाच्या कामाशी संबंधित शासन निर्णय

| अ. क्र. | शासन निर्णयानुसार दिलेले विषय   | शासन निर्णय क्रमांक व तारीख   | अभिप्राय (असल्यास) |
|---------|---|---|--------------------|
| १       | राज्य शासकीय कर्मचारी गट विमा योजना १९८२  | वित्त विभाग निर्णय क्र.डीओआय /२०८१/४७०१/एडीएम-५ दिनांक २६/४/८२  |                    |
| २       | राज्य शासकीय कर्मचारी गट विमा योजना १९८२ जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांना लागू करणेबाबत | ग्राम विकास विभाग निर्णय क्र.विमा-१०९०/प्र.-२८०/१८ दिनांक १/९/९०  |                    |
| ३       | जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांना राज्य शासकीय कर्मचारी गट विमा योजना १९८२               | ग्राम विकास विभाग निर्णय क्र.डीएसआर/२४९०/सी आर-३२५/१८ दिनांक ११/६/९१  |                    |
| ४       | जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांना राज्य शासकीय कर्मचारी गट विमा योजना १९८२               | ग्राम विकास विभाग निर्णय क्र.डीएसआर/२४९२/सीआर/४८६/९२/१८ दिनांक २३/३/९२  |                    |
| ५       | राज्य शासकीय कर्मचारी गट विमा योजना १९८२ सुधारित करण्याबाबत                       | वित्त विभाग निर्णय गवियो-१०९३ /प्र.क्र.६९/९३/हमी दिनांक १७/२/९४   |                    |
| ६       | राज्य शासकीय कर्मचारी गट विमा योजना १९८२ सुधारित करण्याबाबत                       | ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग क्र.डीएसआर/२४९३/सीआर/११७१/१८ दिनांक २९/८/९४                                      |                    |
| ७       | जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांना लागू केलेली राज्य शासकीय गट विमा योजना १९८२            | ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग शुध्दीपत्रक क्र.डी एस आर २४९४/२९६९/सीआर/१२५३/१८ दिनांक २१/१२/९४                  |                    |
| ८       | सुधारित अ, ब, क, ड वर्गणीनुसार गट विमा योजनेची वर्गणी लागू करणेबाबत               | वित्त विभाग निर्णय क्र.गवियो /१०९७ /प्र.क्र.३६/९७/शाहमी दिनांक २/२/९८   |                    |
| ९       | सुधारित अ, ब, क, ड वर्गणीनुसार गट विमायोजनेची वर्गणी लागू करणेबाबत                | ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग क्र.डीएसआर/२४९८/सीआर/६६/१८ दिनांक २६/५/९८  |                    |
| १०      | राज्य शासकीय कर्मचारी गट विमा योजना १९८२ वर्गणीच्या दरात वाढ करण्याबाबत           | वित्त विभाग निर्णय क्र.गवियो-१००२/प्र.क्र.३०/शा.हमी दिनांक २६/७/२००२  |                    |
| ११      | जिल्हा परिषद कर्मचारी गट विमा योजना १९९० वर्गणीच्या दरात वाढ करणे.                | ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग निर्णय क्र. विमा-२००२/प्र.क्र.१३६/आस्था-५(१८) दिनांक १९/६/२००३                   |                    |
| १२      | राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना व इतरांना वहातूक भत्ता मंजूर करणेबाबत                  | शासन निर्णय क्र. वाहभ-१०९८/ प्र.क्र.८३/९८/सेवा ५ मंत्रालय मुंबई दिनांक १४/१२/९८                               |                    |
| १३      | जिल्हा परिषदेकडील वहानांची देखभाल व दुरुस्ती खर्चाची मर्यादा                      | महाराष्ट्र शासन ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग शासन निर्णय क्र.जेईपी-१०/२००२/प्र.क्र.१४७/पंरा-१ दिनांक २८/२/२००२ |                    |
| १४      | इंधन वापर मर्यादेबाबत   | शासन निर्णय क्र.जेईपी१००३/८७/प्र.क्र.६९/पंरा-१ दिनांक १७ नोव्हेंबर २००३                                       |                    |



|    |   |   |  |
|----|---|---|--|
| १५ | शासकीय अधिकाऱ्यांचे /कर्मचाऱ्यांचे गोपनीय अहवाल लिहिणे व जतन करणेबाबत   | सामान्य प्रशासन विभाग निर्णय क्र.सीएआर१२९५/प्र.क्र.३६/९५/१३ मंत्रालय मुंबई दिनांक १ फेब्रुवारी १९९६   |  |
| १६ | गोपनीय अहवालाचे सुधारित प्रपत्र विहित करणे  | क्र.मविसे-१०९९/ आरआर /६२३२ /१० ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग मंत्रालय मुंबई दिनांक ५ मे १९९९  |  |
| १७ | जिल्हा परिषद भविष्य निर्वाह निधीमधून अग्रीम मंजूरीबाबत  | मुंबई सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी नियम १९९८  |  |
| १८ | महाराष्ट्र सर्वसाधारण भ.नि.नि.नियम १६ नुसार महाराष्ट्र विकास सेवा गट अ व गट ब च्या अधिकाऱ्यांच्या रक्कमा काढण्याचे अधिकार | क्र.मविसे/१०/२००३ प्र.क्र.४२४२/ आस्था ३ ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग मंत्रालय मुंबई ३२ दिनांक ९ फेब्रुवारी २००४   |  |
| १९ | लेखा विषयक नोंदवहया पूर्ण ठेवणे   | ग्राम विकास विभाग पंरास १०७९/ १०७०-४०२७ दिनांक ११/१/७९  |  |
| २० | महाराष्ट्र माहितीचा अधिनियम २००२  | क्र.ममाअ/२००२प्र.क्र.१२७०२/०५ दि. १४/८/२००३   |  |
| २१ | केंद्र शासनाच्या माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५   | केमाअ/२००५प्र.क्र./१९०/०५/५ दिनांक ६/८/२००५   |  |
| २२ | म.ना.से. (रजा) नियम १९८१  | नियम पुस्तिका वित्त विभाग अधिसूचना क्र. एमएससी-१०८१/४/एमसीएसआर-सेल/ दि.२३/७/१९८१  |  |
| २३ | अर्जित रजा साठविणे व रजेचे रोखीकरण करणे यांच्या कमाल मर्यादा वाढविण्याबाबत  | महाराष्ट्र शासन वित्त विभाग शासन निर्णयक्र.वेआशि/-१२८७/३९९/८७ /सेवा-१० दि. ११ ऑक्टोबर १९८८  |  |
| २४ | अर्जित रजा परिगणना करण्याच्या पद्धतीत सुधारण  | महाराष्ट्र शासन वित्त विभाग-शासन निर्णय क्र.अरजा-२४८८/३९५/सेवा-९ दि. ९ नोव्हेंबर १९९०   |  |
| २५ | चार वर्षातून एकदा महाराष्ट्रात कोठेही जाण्यास रजा प्रवास सवलत   | महाराष्ट्र शासन वित्त विभाग निर्णय क्र.सप्रस/११९४/१८४/सेवा-५ दि. ८ मार्च १९९५   |  |
| २६ | केंद्र शासन पुरस्कृत योजनांसाठी जिल्हास्तरीय दक्षता व सनियंत्रण समिती   | महाराष्ट्र शासन ग्रामविकास विभाग निर्णय क्र. जिग्राप-०२०१४/ प्र.क्र.११२/ योजना-५/दि. ९ मे २०१६  |  |
| २७ | ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या नियामक मंडळाचे पुर्नगठण   | महाराष्ट्र शासन ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग निर्णय क्र. आयआरडी १०९५/प्र.क्र.१२९३/४५/१२ एप्रिल २००१  |  |
| २७ | शबरी आदिवासी घरकुल योजना  | आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय क्र.घरकुल २०२०/प्र.क्र.७३/का-१७/दि.१६.०७.२०२१   |  |
| २८ | आदिम जमाती घरकुल योजना  | आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय क्र.आदिम २०२१/प्र.क्र.८६/का-१९/दि.२४.०१.२०२२  |  |
| २९ | रमाई घरकुल योजना  | १.सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्र. रआयो- २०१६/ प्र.क्र ५७८ /बांधकामे/ दि.३०.०९.२०१६<br>२. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्र. रआयो- २०१८/ प्र.क्र १३७/ बांधकामे/ दि.१३.०२.२०१९चा |  |
| ३० | यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना   | इमाव विभाग शासन निर्णय क्र. गृणियो-   |  |

|    |                                 |  |  |
|----|---------------------------------|--|--|
|    |                                 | २०१७/प्र.क्र.<br>६०/विजाभज/१/दि.११.०९.२०१९   |  |
| ३१ | प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण | ग्रामविकास व जलसंधारण<br>विभाग,शासन निष्प्रय क्र.प्रमाआयो-जी-<br>२०२१/प्र.क्र.७१/यो-१० दि.३०.०८.२०२१ |  |
| ३२ | शबरी आदिवासी घरकुल योजना        | आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय<br>क्र.घरकुल २०२०/प्र.क्र.७३/का-<br>१७/दि.१६.०७.२०२१                 |  |
| ३३ | आदिम जमाती घरकुल योजना          | आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय<br>क्र.आदिम २०२१/प्र.क्र.८६/का-<br>१९/दि.२४.०९.२०२२                  |  |

  
प्रकल्प संचालक  
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, रत्नागिरी



**कलम ४(१) (ब) (v) नमूना (ब)**  
**जिल्हा ग्रामीण विकास विभागाच्या कामाशी संबंधित शासन परिपत्रके**


| अ.क्र. | शासकीय परिपत्रकानुसार दिलेले विषय  | परिपत्रक क्रमांक व तारीख  | अभिप्राय |
|--------|--|---|----------|
| १      | राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना अंतरिम वाढ देणेबाबत   | परिपत्रक क्र.वेपुर/१२९३/प्र.क्र.५०/सेवा१०/<br>मंत्रालय मुंबई दिनांक १६/२/१९९५                             |          |
| २      | महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारित वेतन) नियम १९९८ वेतन निश्चिती संबंधात सूचना                                 | शासन परिपत्रक<br>क्र.वेपुर/१२९८/प्र.क्र.१६/९८/सेवा१० मंत्रालय<br>मुंबई ३२ दिनांक ५/१/९९                   |          |
| ३      | सेवा निवृत्ती वेळी कर्मचाऱ्यांना नादयेय/ नाचौकशी सर्टिफिकीट देण्याबाबत                                     | ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग<br>क्र.पंरास/१०२०/प्र.क्र.५०६७/३८ दिनांक<br>३१/१०/२०००                       |          |
| ४      | पंचायती राज समिती दौरे व मुक्कामाबाबत शिफारशी  | एमआयएस-१२७९/१३३९/सीआर-२५७०/९<br>दिनांक ११ मे १९७९   |          |
| ५      | जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिकाऱ्यांनी करावयाचे दौरे व रात्रौचे मुक्काम                                  | पंरास/१०८५/प्र.क्र.१७२९/५७ दिनांक २१<br>जुलै १९८६   |          |
| ६      | भविष्य निर्वाह निधी वर्गणीदारांना संगणक विकत घेण्यासाठी भ.नि.नि. रक्कम (नापरतावा) काढण्यास मंजूरी देणेबाबत | क्र.संकीर्ण-२००४/सक१०७६/समन्वय<br>कक्ष/ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग<br>मंत्रालय मुंबई ३२ दिनांक १४/९/२००४ |          |
| ७      | पंचायती राज समितीला वेळोवेळी पुरवावयाची माहिती   | परिपत्रक क्र.पंरास १०८९ प्रकरण-२३६५/५७<br>दिनांक १२ जून १९८९  |          |
| ८      | पंचायत राज समिती समोरील साक्षीचे वेळी घ्यावयाची खबरदारी  | क्र.पंरास१००१/प्र.क्र.६६/३८ दिनांक ८<br>ऑगस्ट २००१  |          |
| ९      | पंचायती राज समितीच्या बैठकांना राज्यशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी उपस्थित रहाण्याबाबत                             | परिपत्रक क्र.पंरास१००१/प्र.क्र.७८/३८ दिनांक<br>३ ऑक्टोबर २००१   |          |
| १०     | पंचायत राज समितीच्या साक्षीचे वेळी जिल्हस्तारावरील अधिकाऱ्यांनी उपस्थित रहाण्याबाबत                        | परिपत्रक क्र.पंरास १००/प्र.क्र.९/३८ दि. ६<br>फेब्रुवारी २००२  |          |
| ११     | कोषगारातून आस्थापना अनुदानाची आहरण व वितरणाची अंतरिम पध्दती  | परिपत्रक क्र.अआर २००१/प्र.क्र.२६३२/२३<br>ता.३१ मार्च २००१   |          |
| १२     | जि.प.कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाबाबत   | शासन परिपत्रक क्र.अआर-२००२/ प्र.क्र.<br>२८९७/वित्त-२ दि. ७ मे ०२  |          |
| १३     | जिल्हा परिषद वर्ग-३ कर्मचाऱ्यांचे गोपनीय अहवाल लिहिणे व जतन करणे   | ग्राम विकास विभाग नं.झेडएनजी-१६६१/ सी<br>२३०८/ए. दि.२६ फेब्रुवारी १९७०                                    |          |

|    |  |   |  |
|----|--|---|--|
| १४ | पंचायत राज समितीच्या बैठकांना राज्यशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी उपस्थिती रहाण्याबाबत   | परिपत्रक क्र.पंरास १००१/प्र.क्र.७८/३८ दिनांक ३ ऑक्टोबर २००१   |  |
| १५ | पंचायत राज समितीच्या साक्षीचे वेळी जिल्हास्तरावरील अधिकाऱ्यांनी उपस्थित रहाण्याबाबत  | परिपत्रक क्र.पंरास१००२/प्र.क्र.९/३८ दिनांक ६ फेब्रुवारी २००२  |  |
| १६ | कोषागारातून आस्थापना अनुदानाची आहरण व वितरणाची अंतरीम पद्धती   | परिपत्रक क्र. एआर२००१प्र.क्र.२६३२/२३ दिनांक ३१ मार्च २००१   |  |
| १७ | महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद सेवा (शिस्त व अपिल) नियम १९६४ नुसार जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्या विरुद्ध करावयाच्या कार्यवाहीबाबत | महाराष्ट्र शासन ग्रा.वि.वि.परिपत्रक क्र.संकीर्ण /१०८९/११३४/सीआर/४४९/(८९)२० दि. २६ जून १९८९  |  |
| १८ | जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांच्या निलंबनाबाबत   | महाराष्ट्र शासन ग्रा.वि.वि.क्र.डीईएन २६८९ /सीआर ७६५/२० दि. ४ जून १९९०   |  |
| १९ | रजा प्रवास सवलत  | महाराष्ट्र शासन वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र.प्रवास११८९/२५५/सेवा५ दि.२५ सप्टेंबर १९८९  |  |
| २० | महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार अधिनियम २००२  | क्र.मनाअ/२००२/प्र.क्र.१२७/०२/०५ दि.१४/८/०३  |  |
| २१ | केंद्र शासनाच्या माहितीचा अधिकार अधिनियम   | केमाअ/२००५/प्र.क्र.१९०/०५/५ दि.६/८/२००५   |  |
| २२ | शबरी आदिवासी घरकुल योजना   | आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय क्र.घरकुल २०२०/प्र.क्र.७३/का-१७/दि.१६.०७.२०२१   |  |
| २३ | आदिम जमाती घरकुल योजना   | आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय क्र.आदिम २०२१/प्र.क्र.८६/का-१९/दि.२४.०१.२०२२  |  |
| २४ | रमाई घरकुल योजना   | १.सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्र. रआयो- २०१६/ प्र.क्र ५७८ /बांधकामे/ दि.३०.०९.२०१६<br>२. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्र. रआयो- २०१८/ प्र.क्र १३७/ बांधकामे/ दि.१३.०२.२०१९चा |  |
| २५ | यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना  | इमाव विभाग शासन निर्णय क्र. गृनियो- २०१७/प्र.क्र. ६०/विजाभज/१/दि.११.०९.२०१९   |  |
| २६ | प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण  | ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग,शासन निप्रय क्र.प्रमाआयो-जी-२०२१/प्र.क्र.७१/यो-१० दि.३०.०८.२०२१   |  |

**कलम ४ (१) (अ) (vi)**

**जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा रत्नागिरी येथील कार्यालयामध्ये दस्तावेजांचीवर्गवारी**


| अ.क्र.   | विषय | दस्तावेजाचा प्रकार<br>नस्ती/ मस्टर/<br>नोंदपुस्तक, व्हाऊचर<br>इ. | प्रमुख बाबींचा<br>तपशिलवार | सुरक्षित ठेव याचा<br>कालावधी |
|--|------|--|----------------------------|------------------------------|
| <p>तक्ता क्रमांक कलम ४ (१) (अ) (v) इ प्रमाणे</p> |      |  |                            |                              |



प्रकल्प संचालक  
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, रत्नागिरी

कलम ४(१) (ब) (v) नमुना (ड)  
जिल्हा ग्रामीण विकास विभागाच्या कामाशी संबंधित कार्यालयीन आदेश / धोरणात्मक परिपत्रके

| अनु. क्र. | विषय                                      | क्रमांक व तारीख                                       | अभिप्राय (असल्यास) |
|-----------|---|---|--------------------|
| १         | जिल्हा ग्रामीण विकास विभागाच्या विषय वाटप | प्रकल्प संचालक,<br>जि.ग्रा.वि.यं. यांचे<br>आदेशानुसार | -                  |

  
प्रकल्प संचालक  
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, रत्नागिरी



कलम ४(१) (ब) (v) नमुना (इ)

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा रत्नागिरी कार्यालयामध्ये उपलब्ध दस्तऐवजांची यादी  
दस्तऐवजाचा विषय  
अभिलेख वर्गीकरण  
अ अभिलेख मुदत कायम अभिलेख

| अनु क्र.               | दस्त ऐवजाचा प्रकार |    | विषय   | संबंधित व्यक्ती / पदनाम | व्यक्तीचे ठिकाण/ उपरोक्त कार्यालयात उपलब्ध नसल्यास |
|------------------------|--------------------|----|--|-------------------------|--|
|                        | अ                  | १  | दिशा समिती व नियामक समिती ठराव   | आस्था-२                 | ज्याचेकडे कार्यभार सोपविणेत आलेला आहे तो कर्मचारी  |
|                        |                    | २  | आवक जावक नोंदणी पुस्तके  | आस्था-२                 |  |
|                        |                    | ३  | नियतकालिके आणि खास नोंदणी पुस्तके  | आस्था-२                 |  |
|                        |                    | ४  | सामानाची खरेदी किंवा हस्तांतरण नुकसान किंवा निर्लेखन या संबंधीची कागदपत्रे | आस्था-१                 |  |
|                        |                    | ५  | सामानाचे नोंदणी पुस्तक   | आस्था-१                 |  |
|                        |                    | ६  | ग्रंथालयातील पुस्तकाचे नोंदणी पुस्तक                                       | आस्था-१                 |  |
|                        |                    | ७  | नष्ट केलेल्या अभिलेखांचे नोंदणी पुस्तक                                     | आस्था-१                 |  |
|                        |                    | ८  | महत्वाचे व कायम स्वरुपाचे इतर कागदपत्र                                     | आस्था-१                 |  |
|                        |                    | ९  | रोजकिर्द   | वरि.सहा (लेखा)          |  |
|                        |                    | १० | दिलेल्या चेकची नोंदणी पुस्तके  | वरि.सहा (लेखा)          |  |
|                        |                    | ११ | प्रशासकीय अहवालासाठी वार्षिक हिशोब   | वरि.सहा (लेखा)          |  |
|                        |                    | १२ | अनुदानाचे नोंदणी पुस्तक  | वरि.सहा (लेखा)          |  |
| ब अभिलेख मुदत ३० वर्षे |                    |    |  |                         |  |
|                        |                    | १  | दिशा समिती व नियामक समिती ठराव   | आस्था-२                 |  |
|                        |                    | २  | केंद्र व राज्य पुरस्कृत सर्व योजनांचे अभिलेखे                              | यो-१ व यो-२             |  |
|                        |                    | ३  | सेवापुस्तके  | आस्था१                  |  |
|                        |                    | ४  | कार्यभारासंबंधीचे अहवाल  | आस्था१                  |  |
|                        |                    | ५  | प्रतिभूती बंधपत्रे   | आस्था २                 |  |

|  |  |    |  |       |  |
|--|--|----|--|-------|--|
|  |  | ६  | अंदाजपत्रक फाईल  | लेखा  |  |
|  |  | ७  | पुरवणी व सुधारित अंदाजपत्रक                              | लेखा१ |  |
|  |  | ८  | वेतन बील व वेतनपट  | लेखा  |  |
|  |  | ९  | जमा रक्कमा दिलेल्या रक्कमा यांची वर्गीकरण नोंदणी पुस्तके | लेखा  |  |
|  |  | १० | अग्रीमधन रजिस्टर   | लेखा  |  |

क अभिलेख मुदत १० वर्षे


|   |   |   |   |             |  |
|---|---|---|---|-------------|--|
| १ | क | १ | तपासणी टिप्पणी व त्या वरील कार्यवाही  | आस्था-१     |  |
|   |   | २ | कार्यविवरणे (Receipt) बाकी राहिलेल्या साप्ताहिक कामांची यादी, प्रतिक्षा नोंदणी पुस्तक, संदर्भ नोंदणी पुस्तक         | आवक<br>जावक |  |
|   |   | ३ | लेखनसामुग्री / नमुने यांची नोंदणी पुस्तके   | आस्था-२     |  |
|   |   | ४ | अधिकाऱ्यांच्या दैनंदिनी   | आस्था १     |  |
|   |   | ५ | रजेचा हिशोब   | आस्था १     |  |
|   |   | ६ | येणे असलेल्या वसुल न होण्या योग्य रक्कम निर्लेखित करणे.   | लेखा        |  |
|   |   | ७ | सरकारी खजिन्यात भरलेल्या बाबींसाठी पावती दिलेली चलने आणि समान व कंत्राटदारांची बिले धरुन सर्व प्रमाणके व उपस्थितीपट | लेखा        |  |
|   |   | ८ | प्रवास भत्याची बिले व कर्मचारी वर्गास द्यावयाच्या भत्याची अशी इतर बिले  | लेखा        |  |
|   |   | ९ | सादिल रजिस्टर   | आस्था १     |  |

क १ अभिलेख मुदत ५ वर्षे

|  |  |   |   |        |  |
|--|--|---|---|--------|--|
|  |  | १ | पुस्तके / नियतकालिके आणि प्रकाशने यांची ग्रंथालय सूची | भांडार |  |
|  |  | २ | प्रमाण नमुने व लेखन सामुग्री यांचे व्यादेश            | भांडार |  |
|  |  | ३ | परिषदांच्या संबंधी दौऱ्याचे कार्यक्रम                 | परिषद  |  |
|  |  | ४ | रबर स्टॅम्प इत्यादीसाठी व्यादेश                       | भांडार |  |
|  |  | ५ | अधिकाऱ्यांच्या दौऱ्यांचे कार्यक्रम                    | नियोजन |  |
|  |  | ६ | चपराशाचे कपडे, गणवेश, बीले इत्यादी पुरविणे            | भांडार |  |



|                                       |   |    |  |           |  |
|---------------------------------------|---|----|--|-----------|--|
|                                       |   | ७  | पोस्टाच्या तिकिटाचे हिशोब आणि पत्रव्यवहार  | जावक      |  |
|                                       |   | ८  | आकस्मिक खर्चाचे नोंदणी पुस्तक  | भांडार    |  |
|                                       |   | ९  | प्रमाणकांच्यासहित आकस्मिक खर्चाची तपशिलवार बिले  | भांडार    |  |
|                                       |   | १० | पावती पुस्तके  | रोखपाल    |  |
|                                       |   | ११ | बिल नोंद पुस्तक  | रोखपाल    |  |
|                                       |   | १२ | जिल्हा मध्यवर्ती बँकेची चलने   | रोखपाल    |  |
| अभिलेख एक वर्षावरील नाश करण्याचे कागद |   |    |  |           |  |
|                                       | ड | १  | पत्र व्यवहार वाटपासंबंधीच्या टिपा, सूचना इत्यादी   | आवक /जावक |  |
|                                       |   | २  | इतर जिल्हा परिषद किंवा पंचायत समितीकडून अभिप्रायावरील विचारणेत आलेले मत / चौकशी                                      | आस्था     |  |
|                                       |   | ३  | टपालाचे डिलीव्हरी बुक  | जावक      |  |
|                                       |   | ४  | प्रसिध्दीपत्रके, उद्घोषदा आणि अधिसूचना राजपत्रात प्रसिध्द केल्या असल्यास किंवा शासकीय ठरावात समाविष्ट केल्या असल्यास | आवक       |  |
|                                       |   | ५  | आकस्मिक रजेचे नोंदणी रजिस्टर व उपस्थिती पट   | आस्था     |  |
|                                       |   | ६  | आकस्मिक रजेचा अर्ज   | आस्था     |  |
|                                       |   | ७  | बिले चेक इत्यादी पाठविणारी जापने व पोच पावत्या   | लेखा      |  |

  
 प्रकल्प संचालक  
 जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, रत्नागिरी

कलम ४(१) (ब) (vii)

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा रत्नागिरी विभाग कार्यालयाच्या परिणाम कारक कामासाठी जनसामान्यांची सल्लामसलत करण्याची व्यवस्था.

| अ.क्र. | सल्लामसलतीचा विषय            | कार्याप्रणालीचे विस्तृत वर्णन   | कोणत्या अधिनियमा/ नियमा/ परिपत्रकाद्वारे            | पुनरावृत्तीकाल |
|--------|------------------------------|---|---|----------------|
| १      | धोरणात्मक व प्रशासकीय निर्णय | जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष, विषय समित्यांचे सभापती यांना धोरणात्मक अथवा प्रशासकीय निर्णययासाठी करावयाच्या नियम किंवा तत्त्वे तयार करणे कामी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, संबंधीत समित्यांचे सचिव व खाते प्रमुख हे पदाधिकारी यांचे बरोबर सल्लामसलत चर्चा करतात व उपलब्ध शासकीय आदेश, निर्णय, संविधानिक नियमयांच्या आधारे जिल्हा परिषदेचे धोरण व तत्त्वे ठरविली जातात. लोकप्रतिनिधीशी सल्लामसलत करून धोरणात्मक निर्णय करणेसाठी त्या-त्या विषयाशी संबंधित विषय समित्या आहेत. तसेच स्थायी समिती आहे. या ठिकाणी केलेले महत्वाचे धोरण विषयक निर्णय जिल्हा परिषदेच्या सभेत कायम केले जातात. | महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ | --             |

प्रमुख संचालक  
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, रत्नागिरी

कलम ४ (१) (ब) (viii) नमुना (अ)

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा रत्नागिरी कार्यालयाच्या समितीची यादी प्रकाशित करणे.


| अ.क्र. | समितीचे नांव | समितीचे सदस्य | समितीचे उद्दीष्ट   | किती वेळा घेणेत येते | सभा जन सामान्यासाठी खुली आहे किंवा नाही. | सभेचा कार्यवृत्तांत (उपलब्ध) |
|--------|--------------|---------------|--|----------------------|--|------------------------------|
| १      | दिशा समिती   | २७            | केंद्र पुरस्कृत योजनांसाठी राज्यस्तरीय व जिल्हास्तरीय दक्षता व सनियंत्रण समिती ही केंद्रस्तरीय व राज्यस्तरीय योजनांच्या कारभारा संबंधित प्राप्तअधिका रानुसार धोरणात्मक निर्णय घेणे व जि.प.कडे शिफारस करणे. | ६ महिन्यां-तून एकदा  | पिठासन अधिकाऱ्यांच्या समतीने खुलीआहे.    | उपलब्ध करून दिला जातो.       |
| २      | नियामक समिती | १९            | धोरणात्क मार्गदर्शन व वार्षिक आराखडयांना मान्यता देणे, त्याच्या अंमलबजावणीबाबत आढावा घेणे व सनियंत्रण करणे   | ३ महिन्यां-तून एकदा  | दर ३ महिन्यांनी                          |                              |

प्रमुख संचालक  
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, रत्नागिरी

कलम ४ (१) (ब) (viii) नमुना (ब)

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा रत्नागिरी कार्यालयाच्या अधिसभाची यादी प्रकाशित करणे.


| अ.क्र. | अधिसभेचे नांव | सभेचे सदस्य | सभेचे उद्दीष्ट | किती वेळा घेणेत येते | सभा जनसामान्या साठी खुली आहे किंवा नाही. | सभेचा कार्यवृत्तांत (उपलब्ध) |
|--------|---------------|-------------|----------------|----------------------|--|------------------------------|
| --     | --            | --          | --             | --                   | --                                       | --                           |

  
 प्रकल्प संचालक  
 जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा रत्नागिरी

कलम ४ (१) (ब) (viii) नमुना (क)

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा रत्नागिरी कार्यालयाच्या परिषदांची यादी प्रकाशित करणे.

| अ.क्र. | परिषदेचे नांव | परिषदेचे सदस्य | परिषदेचे उद्दीष्ट  | किती वेळा घेणेत येते | सभा जनसामान्या साठी खुली आहे किंवा नाही. | सभेचा कार्यवृत्तांत (उपलब्ध) |
|--------|---------------|----------------|--|----------------------|--|------------------------------|
| १      | दिशा समिती    | २७             | जिल्हा परिषदेचे धोरणात्मक कामकाज व योजनांची अंमलबजावणी व सनियंत्रण | तीन महिन्यातून एकदा  | पिठासीन अधिकाऱ्यांच्या संमतीने           | उपलब्ध करून देण्यात येतो.    |




प्रकल्प संचालक  
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, रत्नागिरी



कलम ४(१) (ब) (viii) नमुना (ड)

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा रत्नागिरी कार्यालयाच्या कोणत्याही संस्थेची यादी प्रकाशित करणे.

| अ.क्र. | संस्थेचे नांव | संस्थेचे सदस्य | संस्थेचे उद्दीष्ट | किती वेळा घेणेत येते | सभा जनसामान्या साठी खुली आहे किंवा नाही. | सभेचा कार्यवृत्तांत (उपलब्ध) |
|--------|---------------|----------------|-------------------|----------------------|--|------------------------------|
| --     | --            | --             | --                | --                   | --                                       | --                           |



प्रकल्प संचालक

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, रत्नागिरी

## ४ (१) (ब) (xi)

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा रत्नागिरी कार्यालयाचे मंजूर अंदाजपत्रक व खर्चाचा तपशील याची विस्तृत माहिती प्रकाशित करणे.


अंदाजपत्रक प्रतीचे प्रकाशन.  
अनुदानाच्या वितरणाच्या प्रतीचे प्रकाशन

| अ. क्र. | अंदाजपत्रकीय शीर्षाचे वर्णन | अनुदान सन २०१९-२०२० माहे डिसेंबर २०१९ अखेर | नियोजित वापर (क्षेत्र कामाचा तपशील) | अधिक अनुदान अपेक्षित असल्यास रुपयात | अभि प्राय |
|---------|-----------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| १       | -                           | -  | -                                   | -                                   | --        |



प्रकल्प संचालक  
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, रत्नागिरी

कलम ४ (१) (ब) (xii) (अ)  
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा रत्नागिरी अनुदान वाटपाच्या कार्यक्रमाची कार्यपध्दती  
या विभागाकडून अशा प्रकारचे कोणतेही अनुदान दिले जात नाही.

  
प्रकल्प संचालक  
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, रत्नागिरी



कलम ४ (१) (ब) (xii) नमुना (ब)

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा रत्नागिरी कार्यालयातील अनुदान कार्यक्रमा अंतर्गत लाभार्थीची विस्तृत माहिती प्रकाशित करणे.

योजनेचे नांव:

| अ. क्र. | योजनेचे नांव                    | अनुदान रक्कम/ स्वरूप           | निवड पात्रतेचे निकष   | अभिप्राय |
|---------|---------------------------------|--------------------------------|---|----------|
| 1       | प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण | 1,20,000/-                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>सरकारकडे नोंदणीकृत बिगर कृषी उपक्रम नसलेली कुटुंबे.</li> <li>पक्के छत/ पक्की भिंत असलेल्या घरतात राहणारी कुटुंबे आणि 2 पेक्षा जास्त खोल्या नसलेले</li> <li>कुटुंबातील कोणतीही सदस्य दरमहा 10,000/- पेक्षा जास्त नसावे</li> <li>आयकर न भरणारे</li> <li>रेफ्रिजरेटर नसणारे</li> <li>टेलीफोन कनेक्शन नसणारे</li> <li>दुचाकी/तीन/चारचाकी/मासेमारी बोट नसणारे</li> <li>किसान क्रेडीट कार्ड रु.50000/- किंवा त्याहून जास्त नसलेले</li> <li>सरकारी कर्मचारी सदस्य असलेले कुटुंबे नसावे</li> <li>एक सिंचन साधनासह 2.5 एकर किंवा त्याहून अधिक बागायती जमीन नसलेले.</li> <li>दोन किंवा अधिक तीन हंगामासाठी 5 एकर किंवा त्याहून अधिक बागायती जमीन नसलेले</li> <li>किमान 7.5 एकर किंवा त्याहून अधिक जमीन किमाणे एक सिंचन उपकरणासह मालकीची नसणे</li> </ol>                          |          |
| 1       | रमाई आवास योजना                 | 1,20,000/-                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>लाभार्थी महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जाती व नवबौध्द संवर्गातील असावा.</li> <li>लाभार्थ्यांचे महाराष्ट्र राज्यातील वास्तव्य किमान 15 वर्षांचे असावे.</li> <li>लाभार्थी हा बेघर असावा किंवा त्याच्याकडे पक्के घर नसावे.</li> <li>लाभार्थी कुटुंबाची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा ग्रामीण क्षेत्रासाठी रु.1.२० लक्ष राहिल.</li> <li>लाभार्थी "सामाजिक, आर्थिक व जात सवेक्षण 2011 (SECC-2011) च्या प्रपत्र "ड" मध्ये असलेल्या अनुसूचित जाती तथा नवबौध्द घटकातील जे लाभार्थी रमाई आवास योजनेचे (ग्रामीण) अद्ययावत निकष पूर्ण करत असतील असे लाभार्थी या योजनेत पात्र असतील.</li> <li>योजनेचा लाभ कुटुंबातील एकाच व्यक्तीला देण्यात येईल. विभक्त कुटुंब असल्यास रेशनकार्ड विचारात घेण्यात यावे.</li> <li>यापूर्वी इतर कोणत्याही गृहनिर्माण योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.</li> </ol> | -        |
| 2       | शबरी आवास योजना                 | 1,20,000/-                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>लाभार्थी महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जमाती संवर्गातील असावा.</li> <li>लाभार्थ्यांचे महाराष्ट्र राज्यातील वास्तव्य किमान 15 वर्षांचे असावे.</li> <li>लाभार्थ्यांकडे स्वतःचे किंवा कुटुंबियाचे पक्के घर नसावे.</li> <li>लाभार्थी कुटुंबाची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा ग्रामीण क्षेत्रासाठी रु.1.२० लक्ष राहिल.</li> <li>विधवा, परित्यक्ता, निराधार, दुर्गम भागातील लाभार्थ्यांना प्राधान्य देण्यात यावे.</li> <li>यापूर्वी इतर कोणत्याही गृहनिर्माण योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.</li> <li>लाभार्थ्यांकडे स्वतःची किंवा शासनाने दिलेली जमीन आवश्यक राहिल.</li> </ol>   |          |
| 3       | आदिम जमाती आवास                 | सपाट साधारण क्षेत्र 1,32,000/- | <ol style="list-style-type: none"> <li>लाभार्थी महाराष्ट्र राज्यातील कातकरी, माडिया गोंड व कोलाम या अनुसूचित आदिम जमाती संवर्गातील असावा.</li> <li>लाभार्थ्यांचे महाराष्ट्र राज्यातील वास्तव्य किमान 15 वर्षांचे असावे.</li> <li>लाभार्थ्यांकडे स्वतःचे किंवा कुटुंबियाचे पक्के घर नसावे.</li> </ol>  |          |

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
|   | योजना   | नक्षलग्रस्त/<br>डोंगराळ क्षेत्र<br>1,42,000/- | 4) लाभार्थी कुटुंबाची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा ग्रामीण क्षेत्रासाठी रु.1.२० लक्ष राहिल.<br>५) विधवा, परित्यक्ता, निराधार, दुर्गम भागातील लाभार्थ्यांना प्राधान्य देण्यात यावे.<br>६) यापूर्वी इतर कोणत्याही गृहनिर्माण योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.<br>७) लाभार्थ्यांकडे स्वतःची किंवा शासनाने दिलेली जमीन आवश्यक राहिल.  |
| 4 | यशवंतराव<br>चव्हाण<br>मुक्त<br>वसाहत/<br>वैयक्तिक<br>घरकुल<br>योजना | 1,20,000/-                                    | 1) सदर योजना विमुक्त जाती व भटक्या जमातीच्या या मुळ प्रवर्गातील तसेच गावोगावी भटकंती करून उपजिवीका करणारे असावे.<br>२) लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रु. 1.20 लक्ष पेक्षा कमी असावे.<br>३) लाभार्थ्यांचे महाराष्ट्र राज्याचा अधिवासी असावा.<br>४) लाभार्थी बेघर अथवा झोपडी/कच्चेघर/पालामध्ये राहणारे असावे.<br>( पुनर्वसित/प्रकल्पग्रस्त गावठाणातील लाभार्थी कुटुंबांना सामूहिक वसाहत योजनेमध्ये घरकुलाचा लाभ देण्यासाठी भूमिहीन असल्याची अट शिथिल आहे. परंतु इतर सामूहिक योजनेमध्ये लाभार्थी यांच्यासाठी भूमिहीनची अट कायम राहणार आहे)<br>५) लाभार्थी हा अल्पभूधारक असावा.<br>६) लाभार्थी कुटुंब भूमिहीन असावे. ( प्रकल्पग्रस्त/पुनर्वसित सोडून) परंतु घर बांधण्यासाठी स्वतःच्या मालकीची जागा असावी.<br>७) यापूर्वी इतर कोणत्याही गृहनिर्माण योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.<br>८) सदर योजनेचा लाभ पात्र कुटुंबातील एकाच व्यक्तीला देण्यात येईल.<br>९) लाभार्थी वर्षभरात किमान ६ महिने एका ठिकाणी वास्तव्यास असावा. |
| 5 | अटल<br>बांधकाम<br>कामगार<br>आवास<br>योजना<br>(ग्रामीण)              | 1,50,000/-                                    | 1) सदर योजनेतून लाभ घेण्यासाठी बांधकाम कामगार हा नोंदणीकृत (सक्रिय) असावा / महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे सलग एक वर्षापेक्षा अधिक बांधकाम कामगार म्हणून नोंदणीकृत असावा.<br>२) बांधकाम कामगारांचे स्वतःच्या/पत्नीच्या नावावर महाराष्ट्र राज्यात पक्के घर नसावे.<br>३) बांधकाम कामगारास पक्के घर बांधण्यासाठी स्वतःच्या/पत्नीच्या नावे मालकीची जागा असावी अथवा मालकीचे कच्चे घर असलेल्या त्या ठिकाणी घर बांधावे.<br>४) बांधकाम कामगाराने यापूर्वी इतर कोणत्याही गृहनिर्माण योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा. याबाबत शपथपत्र सादर करणे आवश्यक राहिल.<br>५) सदर योजनेचा लाभ प्रति कुटुंबासाठी आहे.<br>६) एकदा लाभ घेतल्यानंतर पुनश्च: या योजनेच्या लाभास लाभार्थी पात्र राहणार नाही.<br>७) नोंदणीकृत (सक्रिय) बांधकाम कामगार हा प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) कायमस्वरूपी प्रतिक्षा यादीमध्ये ( PWL) समाविष्ट नसावा.   |
| 6 | पंडित<br>दिनदयाळ<br>उपाध्याय<br>जागा खरेदी<br>अर्थसहाय्य<br>योजना   | 50,000/-                                      | 1) केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना तसेच राज्य पुरस्कृत सर्व आवास योजनेतील घरकुलास पात्र लाभार्थी परंतु जागेअभावी घरकुल बांधकामासाठी जागा उपलब्ध नसलेल्या लाभधारकांसाठी सदर योजना लागू राहिल.<br>२) प्रति लाभार्थी ५०० चौ.फुटांपर्यंत जागेसाठी रक्कम रु.५०,०००/- अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देण्यात येईल.   |

  
 प्रकल्प संचालक  
 जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, रत्नागिरी

कलम ४ (१) (ब) (xiii)

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा रत्नागिरी विभाग कार्यालयातील मिळणाऱ्या / सवलतीचा परवाना याची चालू वर्षाची तपशीलवार माहिती.

परवाना / परवानगी / सवलतीचे प्रकार

| अनु.क्र. | परवाना धारकाचे नांव | परवान्याचा प्रकार | परवाना क्रमांक | दिनांका पासून | दिनांका पर्यंत | साधारण अटी | परवान्याची विस्तृत माहिती |
|----------|---------------------|-------------------|----------------|---------------|----------------|------------|---------------------------|
| -        | -                   | -                 | -              | निरंक         | -              | -          | -                         |



प्रमुख संचालक  
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, रत्नागिरी



कलम ४ (१) (ब) (xiv)

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा रत्नागिरी विभाग माहितीचे इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात साठविलेली माहिती प्रकाशित करणे. चालू वर्षाकरिता

| अनु.क्र. | दस्तऐवजाचा प्रकार | विषय | कोणत्या इलेक्ट्रॉनिक नमुन्यात | माहिती मिळावी याची पध्दती | जबाबदार व्यक्ती |
|----------|-------------------|------|-------------------------------|---------------------------|-----------------|
| -        | -                 | -    | निरंक                         | -                         | -               |



प्रमुख संचालक  
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, रत्नागिरी

कलम ४ (१) (ब) (xv)

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा रत्नागिरी विभाग कार्यालयात उपलब्ध सुविधांचा तक्ता प्रकाशित करणे.

उपलब्ध सुविधा

- भेटण्याच्या वेळे संदर्भात माहिती
- वेब साईट विषयी माहिती
- कॉलसेंटर विषयी माहिती
- अभिलेख तपासणीसाठी उपलब्ध सुविधांची माहिती
- कामांच्या तपासणीसाठी उपलब्ध सुविधांची माहिती
- नमुने मिळणेबाबत उपलब्ध माहिती
- सुचना फलकांची माहिती

ग्रंथालय विषयी माहिती •

| अ.क्र. | सुविधेचा प्रकार                                    | वेळ            | कार्यपध्दती  | ठिकाण  | जबाबदार व्यक्ती        | तक्रार निवारण  |
|--------|--|----------------|--|--|------------------------|----------------|
| १      | कार्यालयीन वेळेत योजनांची माहिती उपलब्ध करून देणे. | १०.०० ते १७.४५ | अभ्यंगतांना विचारलेली माहिती व नमुने उपलब्धते बाबत माहिती पुरविणे. | जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा रत्नागिरी इमारत | कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी | प्रकल्प संचालक |

  
प्रकल्प संचालक

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, रत्नागिरी

कलम ४ (१) (ब) (xvi)

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा रत्नागिरी कार्यालयातील शासकीय माहिती अधिकारी / सहाय्यक शासकीय माहिती अधिकारी / अपिलीय प्राधिकारी (तेथील लोकप्राधिकारीच्या कार्यक्षेत्रातील) यांची विस्तृत माहिती प्रकाशित करणे.

अ) शासकीय माहिती अधिकारी.

| अ.क्र. | शासकीय माहिती अधिकाऱ्याचे नांव | पदनाम  | कार्यक्षेत्र                           | पत्ता/फोन | ई-मेल                   | अपिलीय प्राधिकारी |
|--------|--------------------------------|--|--|-----------|-------------------------|-------------------|
| १      | श्री. संतोष भिकाजी गमरे        | सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी तथा कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी | जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा रत्नागिरी | २२२५३०    | drdaratnagiri@gmail.com | प्रकल्प संचालक,   |

ब) सहाय्यक शासकीय माहिती अधिकारी.

| अ.क्र. | सहाय्यक शासकीय माहिती अधिकाऱ्याचे नांव | पदनाम                                     | कार्यक्षेत्र                           | पत्ता/फोन | ई-मेल                   |
|--------|--|---|--|-----------|-------------------------|
| १      | श्री. गंगाराम राजाराम मुदगल            | वरिष्ठ सहाय्यक तथा सहाय्यक माहिती अधिकारी | जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा रत्नागिरी | २२२५३०    | drdaratnagiri@gmail.com |

क) अपिलीय अधिकारी.

| अ.क्र. | अपिलीय अधिकाऱ्याचे नांव     | पदनाम          | कार्यक्षेत्र                           | पत्ता/फोन | ई-मेल                   | यांच्या अधिनस्त शासकीय माहिती अधिकारी              |
|--------|-----------------------------|----------------|--|-----------|-------------------------|--|
| १      | श्रीम.नदिनी भालचंद्र घाणेकर | प्रकल्प संचालक | जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा रत्नागिरी | २२२५३०    | drdaratnagiri@gmail.com | सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी तथा कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी |

प्रकल्प संचालक

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, रत्नागिरी

कलम ४ (१) (ब) (xvii)


रत्नागिरी जिल्हा परिषद येथील जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा रत्नागिरी कार्यालयातील प्रकाशित माहिती.

-----निरंक-----

कलम ४ (१) (क)

सर्वसामान्य लोकांशी संबंधित महत्वाचे निर्णय व धोरणेयांची यादी प्रकाशनाकरिता तयार करणे व वितरीत करणे


-----निरंक-----

  
प्रकल्प संचालक  
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, रत्नागिरी

कलम ४ (१) (ड)

सर्वसाधारणपणे आपल्या कार्यालयात होणाऱ्या प्रशासकीय / अर्थन्यायीक कामकाजाच्या प्रकाराची यादी तयार करणे, घेतलेल्या निर्णयाबाबत कार्य करणांची मीमांसा यापुढे देण्यात येईल असे जाहीर करणे.

-----निरंक-----

  
प्रकल्प संचालक  
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, रत्नागिरी